

3001
 फोटो शक्ति से शक्ति मिलाकर गवाहों के बताने के आधार पर स्तीशा कुमारगुप्ता
 एडवोकेट द्वारा तस्दीकीकिये गये है। आराजी मुबैईया विषाष्ट ग्रामोकी सूची के
विक्रय-पत्र भूमिधरी

अन्तर्गत है और जो किसी जन्मदीय/ राष्ट्रीय/ लिंक या पक्का मार्ग पर नहीं है।
 1- बैनामा 2- जरेस्मन सुबालिग 200000/- रुपये, मालियती सुबालिग 343485/- रुपये
 3- रक्बा मुबैईया 0.7109 हेक्टेयर आराजी 4- कित्तम जमीन जं०। ता 3 असिंचित
 व सिंचित जिसका वर्तमान सीकल रेट रु० 450000/- रुपये व 500000/- रुपये प्रीत है
 यर है। 5- विक्रेता अनुसूचित जाति या जनजाति से नहीं है और विक्रेता व क्रेता
 के निम्नीलिखात पते ही स्थायी एवं पत्र व्यवहार के पते है। 6- आराजी मुबैईया
 काशत की आराजी है और काशत हेतु हीबैय की जा रही है जिसकी चर्चुसीमामे
 200 मीटर की परिधी के अन्तर्गत कोई आबादी, संस्था, शैक्षिक संस्था याउधोग
 आदि नहीं है।

यह कि मैं चौधरी प्रवीण कुमार पुत्र श्री इन्द्रीसिंह सागवान निवासी ग्राम सुन्दरपुर
 मजरा धापुल इस्माईलपुर परगना मुजफ्फराबाद तहसील बेहट जिला सहरनपुर 1--
 के हैं।

यह कि मैं नीचे लिखे भूखण्ड का भूमिधर हूँ। मुझे इस भूखण्ड को बेचने का पूर्ण अधिकार प्राप्त
 है। यह इस समय सब प्रकार के भार से मुक्त है। मेरे अतिरिक्त इस भूखण्ड का कोई अन्य स्वामी अथवा
 भूमिधर नहीं है। इस भूखण्ड में मेरा कोई साझेदार भी नहीं है।

यह कि मैंने स्वस्थ मन एवं चित्त और स्वेच्छा से निम्नलिखित भूखण्ड को 200000/-
 रु० (शब्दों में) दो लाख रुपये जिसका आधा
 रु० (शब्दों में) एक लाख रुपये होता है के

बदले में श्री डा० राजेन्द्र प्रसाद मेमोरियल एज्युकेशनल सोसाइटी 170 बस स्टैंड बिहार
 देहरादून द्वारा चैयरमैन श्री इन्द्रीसिंह सागवान पुत्र श्री बीरबलसिंह सागवान नि
 ग्राम सुन्दरपुर मजरा धापुल इस्माईलपुर प० मुजफ्फराबाद तहसील बेहट जिला सहरनपुर -
 (1) यह कि मैंने समस्त धन क्रेता से पा लिया है। रु० 200000/- रुपये

(2) यह कि समस्त धन क्रेता से रजिस्ट्रार के सामने प्राप्त होना है। xx
 (3) मैंने समस्त विक्रय धन में से xx रु० (शब्दों में) xx
 रु० (शब्दों में) xx सब रजिस्ट्रार के सामने प्राप्त करना है।

यह कि मैंने विक्रय अपने समस्त अधिकार स्वत्व और हित का तथा बिना कोई विषय सुरक्षित रखते
 हुए किया है और समस्त कब्जा हस्तान्तरित कर दिया है। अब मेरा या मेरे उत्तराधिकारियों का नीचे लिखे
 भूखण्ड पर कोई अधिकार नहीं रह गया है।

यह कि यदि भविष्य में क्रेता अपना अधिपत्य विक्रेतागण के अधिकार और स्वत्व में किसी दोष के
 कारण नीचे लिखे भूखण्ड पर न पावे तो विक्रय धन हर्जा सहित लौटाने तथा उसकी समस्त कानूनी जिम्मेदारी
 मुझ विक्रेता पर होगी।

यह विक्रय-पत्र लिपिबद्ध किया जिससे कि प्रमाण रहे।

स्टाम्प-पत्र कीमती 27520/- रुपये पैसा पत्नों का नत्थी है।
 विवरण भूखण्ड स्थान धापुल इस्माईलपुर तहसील बेहट जिला सहरनपुर
 नम्बर खसरा क्षेत्रफल शब्दों में लगान सालाना

(1) हस्ताक्षर विक्रेता ह० साक्षी (1)
 (2) ह० साक्षी (2)
 Dr. Rajendra Prasad Memorial Educational Society
 V.P.O.-Sunderpur, Distt. Saharanpur

दिनांक 29-4-2006 ई०